



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-के.ए.-अ.-19022026-270288
CG-KA-E-19022026-270288

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 684]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 11, 2026/माघ 22, 1947

No. 684]

NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 11, 2026/MAGHA 22, 1947

रेल मंत्रालय
(दक्षिण पश्चिम रेलवे निर्माण संगठन)
अधिसूचना
बेंगलुरु, 11 फरवरी, 2026

का.आ. 721(अ).— रेलवे अधिनियम 1989 (1989 का 24) (संशोधित-2008) की धारा 20(A) की उप-धारा (1) द्वारा दी गई शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए, केंद्र सरकार (रेल मंत्रालय, दक्षिण पश्चिम रेलवे, निर्माण संगठन, बेंगलुरु छावनी) इस बात से संतुष्ट होने के बाद कि सार्वजनिक उद्देश्य के लिए, जिस ज़मीन का संक्षिप्त विवरण इसके साथ जुड़े शेड्यूल में दिया गया है, वह कर्नाटक राज्य के मैसूरु-चामराजनगर खंड में नंजनगुड-चामराजनगर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित नए क्रासिंग स्टेशन के लिए एक हॉल्ट स्टेशन के निर्माण के लिए ज़रूरी है, एतद्वारा ऐसी ज़मीन का अधिग्रहण करने के लिए यह घोषणा किया जाता है।

उक्त ज़मीन में दिलचस्प रखने वाला कोई भी व्यक्ति, अधिकारिक राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन होने की तारीख से तीस दिनों के अंदर, उक्त अधिनियम की धारा 20D के उप खंड(1) के तहत, ऊपर बताए गए उद्देश्य के लिए ऐसी ज़मीन के अधिग्रहण और इस्तेमाल पर आपत्ति उठा सकता है:

मैसूरु-चामराजनगर खंड में नंजनगुड-चामराजनगर स्टेशनों के बीच प्रस्तावित क्रासिंग स्टेशन के लिए हॉल्ट स्टेशन के निर्माण से संबंधित भूमि अधिग्रहण के एवज में ऐसी कोई भी आपत्ति सक्षम प्राधिकारी अर्थात् सहायक आयुक्त, मैसूरु और 'आर्बिट्रेटर' अर्थात् 'क्षेत्रीय आयुक्त' मैसूरु को लिखित में दिया जाए और उसमें उसके

कारण बताए जाएंगे, और सक्षम प्राधिकारी आपत्ति उठाने वाले व्यक्तिको व्यक्तिगत रूप से या किसी कानूनी वकील के माध्यम से सुने जाने का मौका दिया जाएगा, और ऐसे सभी आपत्तियों को सुनने के बाद और यदि आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवश्यक समझी जाने वाली आगे की जांच करने के बाद, आदेश द्वारा, उन आपत्तियों को स्वीकार या अस्वीकार किया जा सकता है।

उक्त अधिनियम की धारा 20(D) की उप-धारा (2) के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा दिया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना में शामिल ज़मीन के भूमि योजना और अन्य विवरण उपलब्ध हैं और इच्छुक व्यक्ति सक्षम प्राधिकारी और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, सहायक आयुक्त और विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी मैसूर उप मंडल, मैसूर के बताए गए कार्यालय में इनका निरीक्षण कर सकते हैं।

अनुसूची

मैसूर-चामराजनगर खंड में नंजनगुड – चामराजनगर स्टेशनों के बीच कावलंदे हाल्ट स्टेशन पर प्रस्तावित नए क्रॉसिंग स्टेशन के लिए प्रस्तावित विशेष रेलवे परियोजना के तहत आने वाली, संरचना के साथ या संरचना के बिना, अधिग्रहित की जाने वाली ज़मीन का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :

ग्राम : चिक्कावलंदे

होब्लि : दोडुकावलंदे

तालुक : नंजनगुड

जिला : मैसूर

क्र.सं.	सर्वे सं.	लाभार्थी के नाम	भूमि का वर्गीकरण	कुल (A-G)	खरब (A-G)	अधिग्रहण की सीमा	हेक्टेयर में विस्तार	पेड और पौधों का विवरण	भवन और अन्य
1	161/1A	नागलांबिके पत्नी महादेवस्वामी	सूखी जमीन	1-07G	0-1G	0-13G	0.1315	कुछ नहीं	कुछ नहीं
2	161/1B	महेश पुत्र स्वर्गीय मल्लप्पा के एस	सूखी जमीन	1-21G	-	0-15G	0.1517	कुछ नहीं	कुछ नहीं
3	161/2B	सिद्धम्मा पत्नी मल्लिकार्जुन	सूखी जमीन	1-01G	-	0-13G	0.1315	कुछ नहीं	कुछ नहीं
4	161/3	सिकंदर खान पुत्र स्वर्गीय अहमद खान	सूखी जमीन	0-26G	-	0-17G	0.1720	कुछ नहीं	कुछ नहीं
5	162/1	महादेवम्मा पत्नी मल्लप्पा सिद्धप्पा पुत्र मल्लप्पा	सूखी जमीन	2-24G	0-3G	0-32G	0.3238	कुछ नहीं	कुछ नहीं
6	162/2	सिकंदर खान पुत्र स्वर्गीय अहमद खान	सूखी जमीन	1-11G	0-1G	0-13G	0.1315	कुछ नहीं	कुछ नहीं
7	162/4	सिकंदर खान पुत्र स्वर्गीय अहमद खान	सूखी जमीन	1-6.5G	0-0.5G	0-11G	0.1113	कुछ नहीं	कुछ नहीं
8	162/5	पुट्टातायम्मा पत्नी स्वर्गीय पी कांतराज दीपा गोपी पुत्र स्वर्गीय कांतराज मोहन एम के पुत्र स्वर्गीय कांतराज शमिता एस पुत्री स्वर्गीय भास्कर के	सूखी जमीन	1-0.5G	0-0.5G	0-10G	0.1011	कुछ नहीं	कुछ नहीं
9	164	निसार अहमद पुत्र स्वर्गीय	सूखी	3-8G	-	0-0.5G	0.0050	कुछ	कुछ

		सिदाफ अहमन उर्फ सिराज अहमद	जमीन					नहीं	नहीं
10	165/3	मादय्या पुत्र पुट्टय्या	सूखी जमीन	1-25G	0-3G	0-18G	0.1821	कुछ नहीं	कुछ नहीं
11	165/2	बसवा पुत्र मणिबीलू	सूखी जमीन	1-34G	0-1G	0-20G	0.2023	कुछ नहीं	कुछ नहीं
12	165/4	नंजा पुत्र कट्टेमदा	सूखी जमीन	1-8G	0-4G	0-25G	0.2529	कुछ नहीं	कुछ नहीं
13	165/7	महादेवय्या पुत्र देवहरसय्या	सूखी जमीन	0-18G	0-1G	0-13G	0.1315	कुछ नहीं	कुछ नहीं
14	166/1	करिमल्लय्या पुत्र मल्लय्या	सूखी जमीन	1-22G	-	0-02G	0.2023	कुछ नहीं	कुछ नहीं
15	178	राजम्मा पत्नी स्वर्गीय वीरभद्रय्या	सूखी जमीन	6-18G	0-35G	0-29G	0.2934	कुछ नहीं	कुछ नहीं
16	179/3	रत्नम्मा पत्नी सिद्धलिंगप्पा	सूखी जमीन	0-8G	-	0-02.5G	0.2529	कुछ नहीं	कुछ नहीं
17	179/5	सी एल बसवराजू पुत्र लिंगप्पा	सूखी जमीन	0-8G	-	0-02G	0.2023	कुछ नहीं	कुछ नहीं
18	181/5	अंकय्या पुत्र गवरेगौडा	सूखी जमीन	0-1G	-	0-01G	0.1011	कुछ नहीं	कुछ नहीं
19	182/1	महादेवय्या पुत्र कुमारगौडा	सूखी जमीन	0-5.25G	0- 0.25G	0-04G	0.4047	कुछ नहीं	कुछ नहीं
20	182/4	बिलिगिरि पुत्र हुच्चनकुल्लनमलय्या	सूखी जमीन	0-10G	0-1G	0-09G	0.9107	कुछ नहीं	कुछ नहीं
21	182/7	नागप्पा पुत्र स्वर्गीय लिंगप्पा	सूखी जमीन	0-28G	-	0-23G	0.2327	कुछ नहीं	कुछ नहीं
कुल				06A- 33G	-	273G	2.7573		

अमूर्त

ग्राम का नाम	एकड़ - गुंटा	हेक्तायर में क्षेत्र
चिक्कावलंदे	06A -33G	2.7573

[फा.सं. डब्ल्यू.271/नि/बें छा /2025-26/भूमि विरेप/1727]

प्रदीप पुरी, मुख्य अभियंता-III/निर्माण/ बेंगलुरु छावनी

MINISTRY OF RAILWAYS

(South Western Railway Construction Organisation)

NOTIFICATION

Bengaluru, the 11th February, 2026

S.O. 721(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of Section 20(A) of the Railway Act 1989 (24 of 1989) (Amended-2008) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government (Ministry of Railways, South Western Railways, Construction Organisation, Bengaluru Cantonment) after being satisfied that for the public

purpose, the land, the brief description of which has been given in the schedule annexed hereto, is required for the execution of Proposed New Crossing station at Kavalande Halt Station between Nanjangud–Chamarajanagara Stations in Mysuru-Chamarajanagara section in the State of KARNATAKA, hereby declares its intention to acquire such land:.

Any person interested in the said land may, within Thirty days from the date of publication of this notification in the official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of Section 20D of the said Act:

Every such objection shall be made to the Competent Authority viz., Assistant Commissioner Mysuru and 'Arbitrator' viz., 'Regional Commissioner' Mysuru for Proposed New Crossing Station at Kavalande Halt Station between Nanjangud–Chamarajanagara Stations in Mysuru-Chamarajanagara section in writing and shall set out the grounds thereof and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections:

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20(D) of the said Act shall be final:

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority and Special Land Acquisition Officer, Assistant Commissioner and Special Land Acquisition officer Mysuru Sub-Division, Mysuru.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, falling within the proposed Special Railway Project for Proposed New Crossing Station at Kavalande Halt Station between Nanjangud – Chamarajanagara Stations on Mysuru-Chamarajanagara Section.

VILLAGE: CHIKKAKAVALANDE

HOBLI: DODDAKAVALANDE

TALUK: NANJANGUD

DISTRICT: MYSURU

Sl. No.	Sy. No.	Beneficiary Names	Classification of land	Total (A-G)	Kharab (A-G)	Extent of Acquisition (A-G)	Extent in Hectares	Trees and Plants details	Buildings and others
1	161/1A	Nagalambike W/o Mahadevaswamy	Dry Land	1-07G	0-1G	0-13G	0.1315	Nil	Nil
2	161/1B	Mahesh S/o Late Mallappa K S	Dry Land	1-21G	-	0-15G	0.1517	Nil	Nil
3	161/2B	Sidamma W/o Late Mallikarjunaiah	Dry Land	1-01G	-	0-13G	0.1315	Nil	Nil
4	161/3	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan	Dry Land	0-26G	-	0-17G	0.1720	Nil	Nil
5	162/1	Mahadevamma W/o Mallappa Siddappa S/o Mallappa	Dry Land	2-24G	0-3G	0-32G	0.3238	Nil	Nil
6	162/2	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan	Dry Land	1-11G	0-1G	0-13G	0.1315	Nil	Nil
7	162/4	Sikandar khan S/o Late Ahmed Khan	Dry Land	1-6.5G	0-0.5G	0-11G	0.1113	Nil	Nil
8	162/5	Puttathayamma W/o Late.P.Kanthraj Deepagopi S/o Late Kanthraj Mohan.M.K S/o Late Kanthraj	Dry Land	1-0.5G	0-0.5G	0-10G	0.1011	Nil	Nil

		Shamitha. S D/o Late. Bhaskar.K							
9	164	Nissar Ahmed S/o Late sidaaf Ahmed Urf Siraj Ahmed	Dry Land	3-8G	-	0-0.5G	0.0050	Nil	Nil
10	165/3	Madaiah S/o Puttayya	Dry Land	1-25G	0-3G	0-18G	0.1821	Nil	Nil
11	165/2	Basava s/o Maneyabilu	Dry Land	1-34G	0-1G	0-20G	0.2023	Nil	Nil
12	165/4	Nanja S/o Kattemada	Dry Land	1-8G	0-4G	0-25G	0.2529	Nil	Nil
13	165/7	Mahadevayya S/o Devaharasayya	Dry Land	0-18G	0-1G	0-13G	0.1315	Nil	Nil
14	166/1	Karimallayya s/o Mallayya	Dry Land	1-22G	-	0-02G	0.2023	Nil	Nil
15	178	Rajamma W/o Late Veerabhadrachiah	Dry Land	6-18G	0-35G	0-29G	0.2934	Nil	Nil
16	179/3	Rathnamma W/o Siddalingappa	Dry Land	0-8G	-	0-02.5G	0.2529	Nil	Nil
17	179/5	C.L.Basavaraju S/o Lingappa	Dry Land	0-8G	-	0-02G	0.2023	Nil	Nil
18	181/5	Ankaiah S/o Gavaregowda	Dry Land	0-1G	-	0-01G	0.1011	Nil	Nil
19	182/1	Mahadevaiah S/o Kumaregowda	Dry Land	0-5.25G	0-0.25G	0-04G	0.4047	Nil	Nil
20	182/4	Biligiri S/o Hucchanakullanamaleya	Dry Land	0-10G	0-1G	0-09G	0.9107	Nil	Nil
21	182/7	Nagappa S/o Late Lingappa	Dry Land	0-28G	-	0-23G	0.2327	Nil	Nil
TOTAL				06A-33G	-	273G	2.7573		

ABSTRACT

Name of the Village	Acre-Guntas	Area in Hectare
Chikkakavalande	06A -33G	2.7573

[F. No. W.271/CN/BNC/2025-26/Land SRP/1727]

PARDEEP PURI, Chief Engineer-III/Construction/ Bengaluru Cantonment